



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित  
सामुदायिक केन्द्रों को  
जहां है जैसा है के आधार पर  
10 वर्ष हेतु अनुबन्ध/अनुज्ञप्ति पर कार्य संचालन हेतु

## सामुदायिक केन्द्र की नीलामी

हेतु विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र

निविदा स्थल :

हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद

नीलामी तिथि :

दिनांक 17 फरवरी 2025 को

समय : प्रातः 11-00 बजे से

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सामुदायिक केन्द्रों को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर 10 वर्ष हेतु अनुबन्ध/अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य संचालन हेतु दिये जाने की नियम व शर्तें निम्नवत् है :-

क्र०सं०	
1.	<p><b>आवेदन की प्रक्रिया :-</b></p> <p>किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी तिथि से पूर्व सन्दर्भित बैंक में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका एसडीएफसी बैंक, की निम्न शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raj Nagar - Ghaziabad : Hdfc Bank Ltd, D-44, Rdc, Raj Nagag Ghaziabad UP 201001</li> <li>2. Vivek Vihar Ashoka Niketan : Hdfc Bank Ltd, Plot No.1, Manak Vihar, Delhi, New Delhi, Delhi 110092</li> <li>3. Meerut - Uttar Pradesh : 381, Western Kachehari Road,, Meerut, Uttar Pradesh 250001</li> <li>4. Ghaziabad - Vaishali : Vc -1, Sector-1, Adj To Income Tax Off, Vaishali,, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012</li> <li>5. Ghaziabad - Shalimar Garden : Hdfc Bank Ltd., C -8, Ocean Plaza, Shalimar Garden Extn -2, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005</li> <li>6. Ghaziabad - Indirapuram : Hdfc Bank Ltd., G 2 &amp; 3 Windsor Park, 5 Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014</li> <li>7. Hapur - Uttar Pradesh : Railway Road 2, Nagar Palika No.2 -1/1828, Hap, Hapur, Uttar Pradesh 245101</li> <li>8. Bullandshahr - Uttar Pradesh : 460 Dm Road, Bullandshahr,Bullandshahr, Uttar Pradesh 203001</li> <li>9. Pilkhuwa : Hdfc Bank Ltd, Motor Stand, Delhi Garh Road, Nh -24, Philkhuwa, Ghaziabad, Uttar Pradesh 245304</li> <li>10. RAJENDER NAGAR : Hdfc Bank Ltd, Plot No. 83, Sector -5, Rajender Nagar, Dist -Ghaziabad, Sahibabad, Uttar Pradesh 201005</li> <li>11. Garh Road - Meerut : Hdfc Bank Ltd, Suryansh Plaza, 171/1, Taru Kunj, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh 250004</li> <li>12. Muradnagar : Property No 578 &amp; 587, Shimla Market, Delhi Meerut Road Muradnagar 201206</li> <li>13. Ilaichipur : KH No 320 Ilaichipur Uttar Pradesh 201102</li> <li>14. Tronica City Loni : Hdfc Bank Ltd, Shop No. 107, Rms Housing Society, Tronica City, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102</li> <li>15. Ansals Arcade - Sector 18 Noida : Ansals Fortune Arcade, K - Block, Sector - 18, Nolda, Noida, Uttar Pradesh 201301</li> <li>16. Sector 62 - Noida : Hdfc Bank Ltd, C-25, Stellar It Park, Noida, Uttar Pradesh 201306</li> <li>17. Dilshad Colony : Hdfc Bank Ltd, F-10, Dilshad Colony, New Delhi, Delhi 110095</li> </ol>
2	<p><b>अर्हताएं :-</b></p>
1.	कार्य संचालन की अवधि अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 की तिथि से 10 वर्ष तक निर्धारित किया जाय। बोलीदाता द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रति वर्ष प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि निवदित/उद्धृत की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के लिए निवदित धनराशि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व जमा करानी होगी एवं 05 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् छठवें वर्ष में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ धनराशि जमा करानी होगी। सातवें वर्ष से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए धनराशि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जमा करानी होगी।
2.	प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व आगामी अनुबन्ध हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाये।
3.	अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात् मध्य रात्रि के उपरान्त प्रातः से संचालक के समस्त अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उसे किसी भी रूप में प्रयोग करने अथवा मौके पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। यदि संचालक फिर भी सामुदायिक केन्द्र में मौके पर किसी भी रूप में बना रहता है तथा अपना सामान नहीं हटाता है तो उसे बलपूर्वक प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रक्रिया में लगने वाली अवधि का हर्जाना रू0 50,000.00 प्रतिदिन की दर से वसूला जायेगा।
4.	योजना/कालोनी के निवासियों को समुचित साक्ष्य जैसे निवास प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा आर0डब्ल्यू0ए0 की अनुशंसा पर अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 धारक द्वारा निर्धारित बुकिंग धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान की जायेगी।
5.	मधुवन बापूधाम योजना के ई0 एवं एफ0 ब्लॉक के सामुदायिक केन्द्रों को ग्राम सदरपुर के वासियों एवं किसानों के लिए (जिनकी जमीन उक्त सामुदायिक केन्द्रों के लिए अधिग्रहण की गयी है) रू0 6,000.00 प्रति बुकिंग + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि रू0 7,080.00 एवं एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित कुल किराया राशि का 25 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 1,770.00 प्रतिदिन बुकिंग किराया लिया जायेगा, (165वीं बोर्ड निर्णय दिनांक 05.08.2024 के अनुसार) जिसकी अवधि दिनांक 03 जून, 2024 से 02 जून, 2027 (03 वर्षों) तक रहेगी। यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त निर्णय होता है, तो अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 धारक को मान्य होगा।
6.	प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्रों हेतु अधिकतम आरक्षित मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तालिका के अनुसार होगा तथा अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर बुकिंग नहीं की जायेगी, निर्धारित दरों से कम बुकिंग करने पर प्राधिकरण का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि उक्त शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण को उक्त अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 को निरस्त करने का अधिकार होगा।
7.	अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा की जाने वाली बुकिंग आदि पर प्राधिकरण का भी नियन्त्रण रखने हेतु बु किंग ऑन-लाईन की जायेगी तथा उसका लिंक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साफ्टवेयर/वेबसाईट से किया जायेगा।
8.	प्लान (ए) आवेदक द्वारा कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान करना होगा। अथवा प्ला(बी) आवेदक द्वारा कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि दो छमाही किशतों में साधारण ब्याज दर 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
9.	अनुबन्ध से पूर्व प्रतिभूति के रूप में रू0 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में होगी अथवा नकद धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
10.	धरोहर के रूप में जमा धनराशि का समायोजन प्रथम वर्ष के किराये में कर लिया जायेगा। अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 अवधि समाप्त होने के उपरान्त कब्जा संतोषजनक रूप से प्राधिकरण को सौंपने पर ही प्रतिभूति के रूप में रू0 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) की

	एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/नकद धनराशि वापिस की जायेगी। सामुदायिक केन्द्र में कोई क्षति होती है, तो क्षति का ऑकलन कर प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि से कटौती/समायोजित कर अवशेष धनराशि वापिस की जायेगी। क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा धनराशि से अधिक है, तो क्षतिपूर्ति की राशि में जमा धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि की वसूली लाईसेंस धारक से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर वसूल की जा सकती है। साथ ही तत्समय उपलब्ध समस्त बुकिंग धनराशि भी प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को आपत्ति करने का कोई अधिकार न होगा।
11.	किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफाल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी।
12.	निविदादाता द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क समय से जमा न करने अथवा एम0ओ0यू0/डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि बिन्दु संख्या-10 के अनुसार जब्त कर ली जायेगी।
13.	द्वितीय पक्ष द्वारा मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न होने पाये तथा पर्यावरण स्वच्छ रहे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजन हेतु पर्यावरण प्रदूषण रहित रखने के लिए The Noise pollution (Regulation and Control) अधिनियम, 2000 का सम्यक अनुपालन किया जायेगा। पॉलिथीन निर्मित वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उसके उल्लंघन पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्ड का भागी होगा।
14.	सामुदायिक केन्द्र जैसा है जहाँ है, के आधार पर संचालन हेतु लाईसेंस के आधार पर दिया जा रहा है। सभी आवश्यक साज-सज्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वितीय पक्ष को स्वयं ही तैयार करने होंगे।
15.	सामुदायिक केन्द्र के मूल स्वरूप/प्लान को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वनस्पतियों/लॉन/वृक्षों को नष्ट नहीं किया जायेगा। सामुदायिक केन्द्र के अन्दर विज्ञापन के अधिकार (अधिकतम 02 स्थल) एवं पार्किंग संचालन द्वितीय पक्ष के पास रहेगा व लॉन लैण्डस्केप व सौन्दर्यीकरण बरकरार रखने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। पेड़-पौधों एवं लॉन का भलीभांति अनुरक्षण जी0डी0ए0 के निर्देशानुसार करते हुए जन-सामान्य को सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
16.	द्वितीय पक्ष सामुदायिक केन्द्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम शो, प्रदर्शनी, लोक कार्यक्रम इत्यादि की बुकिंग भी कर सकेगा एवं युक्तियुक्त किराया निर्धारित कर वसूल कर सकेगा, परन्तु सक्षम स्तर से अनापत्ति एवं अनुमति आवश्यक होगी।
17.	कार्यक्रम के दिन संचालक को सामुदायिक केन्द्र में केवल एक अधिकतम 20X20 फुट आकार के किचन/स्टोर का अस्थायी निर्माण टेन्ट द्वारा करने की अनुमति होगी।
18.	सामुदायिक केन्द्र का रख-रखाव, जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण जी0डी0ए0 की अनुमति से अनुज्ञप्तिदाता द्वारा ही किया जायेगा।
19.	अनुरक्षण वार्षिक रंगाई-पुताई, विद्युत/जलापूर्ति की फिटिंग/फिक्चरस तथा फर्नीचर आदि की मरम्मत/प्रतिस्थापन अनुज्ञप्तिदाता द्वारा ही किया जायेगा।
20.	सामुदायिक केन्द्र सामाजिक एवं अन्य कार्य हेतु दैनिक आधार पर आरक्षित किये जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम जिसमें कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित है, में जिलाधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
21.	गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही अनुमन्य होगी।
22.	यह कि प्रश्नगत स्थल निजी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा, जो संविधान सम्मत न हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असामाजिक एवं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्याप्त होने की सम्भावना हो जिससे भारतीय सम्प्रभुता एकता एवं अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या पड़े या किसी समुदाय/धर्म की भावनाओं के आहत होने की सम्भावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
23.	बिजली के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से संचालक को अपने नाम से कनेक्शन प्राप्त करना होगा। विद्युत एवं जल तथा सीवर संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान एवं अन्य अधिभार/कर संचालक द्वारा किया जायेगा।
24.	यह कि किसी भी स्थिति में दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंपा जायेगा, जिसे या तो वे स्वयं अथवा माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा अधिनियम की धारा-11(6) के अन्तर्गत अन्य किसी को स्वतन्त्र विवाचक (आर्बीट्रेटर) नियुक्त करके निर्णय देने हेतु निर्देशित कर सकेगा तथा उक्त आर्बीट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य एवं विधिक रूप से प्रभावी होगा तथा उक्त पर दी आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलीएशन एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
25.	यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद नगर स्थित मा0 न्यायालय में निहित होगा तथा प्लेस ऑफ आर्बीट्रेशन भी गाजियाबाद नगर होगा।
26.	द्वितीय पक्ष को सामुदायिक केन्द्र जिसके सम्बन्ध में अनुबन्ध निष्पादित हो रहा है उसमें किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे केवल प्रयोग करने का लाईसेंस प्रदान किया जा रहा है जो किसी भी समय संतोषजनक स्थिति न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध द्वितीय पक्ष को किसी चुनौती का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
27.	यह कि सामुदायिक केन्द्र स्थल का भौतिक उपयोग हेतु इस विलेख को पंजीकृत कराकर उसकी छायाप्रति एक सप्ताह में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्रस्तुत करनी होगी। इसके उपरान्त ही द्वितीय पक्ष को भौतिक उपयोग की अनुमति होगी।
28.	अनुबन्ध की अवधि में जो भी Tax Liability यथा जी0एस0टी0, हाउस टैक्स, विद्युत बिल एवं अन्य करों की देयता अतिरिक्त होगी, वह द्वितीय पक्ष द्वारा ही देय होगा।
29.	यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध विलेख में अंकित सभी नियम एवं शर्तों को मानने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने हेतु स्वतंत्र मस्तिष्क से खुद को अवबद्ध करेंगे एवं उसके द्वारा अपनी लिखित सहमति विलेख के माध्यम से प्रदान कर दिये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये गये जुर्माने का वह देनदार होगा।
30.	परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के प्रति यदि कोई क्षतिपूर्ति/चिकित्सादेयता बनती है, तो देयता द्वितीय पक्ष की होगी।
31.	परिसर में कानून/शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले एवं अमर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही करने की जिम्मेदारी एवं अधिकार द्वितीय पक्ष के पास होगा।

33.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किसी भी दैवीय आपदा अथवा कर्पयू आदि की स्थिति में किराये में छूट देने अथवा निःशुल्क आवंटन का अधिकार होगा तत्सम्बन्धी उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का आदेश द्वितीय पक्ष को मानना होगा।
34.	प्रश्नगत सामुदायिक केन्द्रों के अनुबन्ध उपरान्त यदि आवेदक अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व अनुबन्ध निरस्त करने का अनुरोध करता है, तो उसकी जमा जमानत राशि जब करते हुए तथा तत्समय उपलब्ध बुकिंग राशि प्राधिकरण कोष में जमा करने पर ही अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा।
35.	इस विलेख में जहाँ-जहाँ शब्द "द्वितीय पक्ष" आया है उसका तात्पर्य अनुज्ञप्तिगृहिता से है।
36.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 धारक द्वारा निर्धारित बुकिंग धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान की जायेगी।
37.	उच्चतम बोली पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
38.	एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन द्वितीय पक्ष को सुनिश्चित करना होगा तथा प्रत्येक बुकिंग का 25 प्रतिशत धनराशि समारोहकर्ता से जमा करायी जायेगी, जो समारोह सत्यापन के बाद निरीक्षण उपरान्त वापिस की जायेगी।
39.	जिन सामुदायिक केन्द्रों में बैडमिन्टन हॉल आदि की गतिविधि संचालित है, उन सामुदायिक केन्द्रों में यह भाग सम्मिलित नहीं माना जायेगा।
40.	नियत अवधि में सूचित धनराशि का भुगतान न करने पर नियमानुसार 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
41.	सामुदायिक केन्द्र का अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, तो भुगतान आवंटी/अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा वहन किया जायेगा।
42.	यदि किसी कारणवश प्राधिकरण सामुदायिक केन्द्र का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है, तो आवंटी/अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 10 वर्षों की लीज/अनुबन्ध पर दिये जाने हेतु  
प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों का विवरण


नीलामी स्थल : हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद।  
(तालिका विवरण)

दिनांक : 17.02.2025

समय : प्रातः 11:00 बजे

क्र० सं०	सामुदायिक केन्द्र का नाम	सामुदायिक केन्द्र की लोकेशन	सामुदायिक केन्द्र का कुल अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामुदायिक केन्द्र का आच्छादित अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जनता से लिया जाने वाला अधिकतम आरक्षित मूल्य +18% GST + 25% NGT Extra	लाइसेंस अवधि	धरोहर राशि	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस किराया (प्रति वर्ष रूपये)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	मधुबन बापूधाम	पॉकेट-एफ	1300.00	667.00	₹ 45725.00	दस वर्ष	₹ 5.49 लाख	₹ 10.97 लाख
2.	मधुबन बापूधाम	पाकेट-ई	2957.00	667.00	₹ 45725.00	दस वर्ष	₹ 5.49 लाख	₹ 10.97 लाख
3.	इन्दिरापुरम	अभयखण्ड-3 में सडक सं०-9 व 10ए के जंक्शन पर	1234.63	386.27	₹ 49000.00	दस वर्ष	₹ 7.50 लाख	₹ 14.00 लाख
4.	ब्रज विहार MIG/HIG	MIG/HIG के बीच स्थित	813.51	741.39	₹ 60,475.00	दस वर्ष	₹ 7.30 लाख	₹ 14.60 लाख

**शपथ—पत्र**



समक्ष:

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

मैं .....

पुत्र / पुत्री / पत्नी .....

जन्म तिथि ..... आयु ..... वर्ष (लगभग)

निवासी .....

निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. कि मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक.....को नीलाम किये जा रहे सामुदायिक केन्द्र ..... योजना ..... गाजियाबाद की नीलामी में बोली दाता केम्प में प्रतिभाग कर रहा / रही हूँ।
3. यह कि मैं बोली सफल होने पर सम्पत्ति आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारारें मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं है। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँगा / हूँगी।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट : शपथ पत्र रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा  
नीलामी में बोली लगाये जाने हेतु  
अधिकार आवेदन-पत्र

सेवा में,

नीलामी अधिकारी  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद

सत्यापित फोटो

महोदय,

मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक ..... को नीलाम किये जा रहे सामुदायिक केन्द्र ..... योजना ..... गाजियाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणों वंश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु./श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु .....वर्ष (लगभग) निवासी ..... को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हैं, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रमाणित

नाम:

पता:

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा

सामुदायिक केन्द्रों को अनुबन्ध/एमओओ पर

आवंटन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र संख्या : .....

Application Form No.

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी  
पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो

Paste a passport size  
photo attested by Gazetted  
Officer/Public Notary

- आवेदक का नाम: .....  
Name of the Applicant (In block letters)
- पिता/पति का नाम: .....  
Father/Husband's Name:
- बोली स्वयं या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।  
ए. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एथोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।  
(a) If bid is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company society, firm or trust and authorization letter should be produced  
बी. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।  
(b) If the bid is for company, society firm or trust its registration letter should also be produced
- उम्र : .....  
Age:
- पूरा पता : .....  
Full Address:  
ए. स्थायी पता : .....  
Permanent Address  
बी. पत्र-व्यवहार का पता: .....  
Correspondence Address  
सी. टेली फोन नं० : ..... मोबाईल नं० : ..... ई-मेल : .....  
Telephone No./: ..... Mobile No.: ..... E-mail:
- ए. व्यवसाय : .....  
Occupation:  
बी. भुगतान प्लान का विकल्प: .....  
Payment plan adopted:  
सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण:  
Particulars of Property:  
1 सामुदायिक केन्द्र का विवरण/स्थान.....सामुदायिक केन्द्र का क्षेत्रफल:.....  
Property Number: ..... Area of property (Sq. mts.)  
3 योजना एवं ब्लाक/सेक्टर : .....  
Name of the Colony & Sector:  
डी. नीलामी का विवरण:  
1. नीलामी की तिथि .....  
Date of Auction  
2 जमा धरोहर राशि का विवरण .....  
Details of earnest money deposited  
3 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या..... दिनांक .....  
G.D.A.'S receipt No ..... Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सामुदायिक केन्द्र के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अर्न्तगत आवेदन किया है मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सामुदायिक केन्द्र का अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराऊंगा/कराऊगी।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक .....  
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर .....  
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित .....  
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)  
(Officer conducting auction)

पदनाम .....  
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

(नोट-धारा-1 (iii) के अनुसार भाषण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा)



Cost 1100/-



## गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001-2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था

विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन न.: 0120-4418384 एस.एम.एस.: 9990988004

ई-मेल : [helplinegda@gmail.com](mailto:helplinegda@gmail.com)  : Gda Ghaziabad  : @gdagzb

website : [gdaghaziabad.in](http://gdaghaziabad.in)

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प